FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला

...ान मांगुराम बनाम भूमिधारी तहसीलदार

...न मुकदमा दावा मुकदमा नं. 135 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
15-10-2020	वकील वादी श्री विक्रम कुमार शर्मा ने हाजिर अदालत होकर वादपत्र पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी की तलबी जरिए सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 25-10-2020 को पेश हो।	796 15/10/2020
26/10/2020	25-10-2020 को अवकाश होने के कारण पत्रावली आज की तारीख पेशी पर नियत की गई। पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी की तामील सम्यक रूप से होकर लौटी है। बावजूद सम्यक तामील के उनकी ओर से कोई हाजिर अदालत नहीं आया है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में ली जाती है। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए मुताबिक अनुतोष निर्णय फरमाने का निवेदन किया। पत्रावली एवम् पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने अपने वादपत्र के समर्थन में वर्तमान जमाबन्दी, प्रमाणित प्रतिलिपि मिलान क्षेत्रफल, प्रमाणित प्रतिलिपि प्रथम मिसल, प्रमाणित प्रतिलिपि द्वितीय मिसल, प्रमाणित प्रतिलिपि नवीन मिसल, आधार कार्ड, राशनकार्ड, पहचान पत्र व भामाशाह कार्ड आदि दस्तावेजात प्रस्तुत किए। उक्त समस्त दस्तावेजों से वादी का नाम "मांगूराम पुत्र भेवाराम" होना प्रमाणित होता है। अतः वाद-वादी स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि — **आदेश** तन ग्राम बामरडा पटवार हल्का केरपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज.) में अवस्थित कृषि	उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

भूमि खसरा नम्बर 618 में वादी का नाम "मांगीलाल पुत्र पारली" के स्थान पर "मांगूराम पुत्र मेवाराम" दुरूस्त किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो एवं तद्नुसार प्रकरण में पर्चा डिक्री मुरतीब जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद आवश्यक कार्यवाही शामिल फैसल रिकार्ड हो। यह निर्णय आज दिनांक 26/10/2020 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित कर न्यायालय मुद्रा सहित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
RAS
उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला सीकर

उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)

Scanned by CamScanner

(डिक्री मुकद्दमा इब्तदाइ)

(ओ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

बा अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम खण्डेला

इजलास श्री राकेश कुमार

मांगूराम पुत्र मेवाराम जाति ✗ बनाम भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला ✗

दावा बाबत दावा

मुकदमा नं. 135 सन 2020.

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री राकेश कुमार (RAS)

हाजिरी श्री विक्रम कुमार शर्मा (एड) मिनजानिब मुद्दई रूबरू

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

...तन ग्राम बामरड़ा पटवार हल्का केरपुरा तहसील खण्डेला जिला ...कर (राज.) में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 618 में वादी का नाम ...गीलाल पुत्र पारसी के स्थान पर " मांगूराम पुत्र मेवाराम " दुरुस्त ...या जाता है। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो।

✗ मुबलिग ✗ बाबत ✗

...इस मुकदमें के मय सूद वगैरह ✗ फीसदी ... आज की तारीख से

...ख अदायगी तक ✗ को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26 माह 10 सन 2020 को

...की गई।

दस्तखत (राकेश कुमार) RAS

ओहदा उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
...म्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
...म्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
...म्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
...न्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
...र्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
...स कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
...त इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
...फरिका					
मीजान			मीजान		

* खर्चा के फर्द पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं ...

Scanned by CamScanner

*/ गुर्जर निवासी बामरड़ा ग्राम पंचायत केरपुरा तहसील खण्डेला
जिला सीकर (राज०)

— वादी

उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)

Scanned by CamScanner